

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका सं०-2/नि०-03/2017-1489(2)

पटना/दिनांक- 07/08/2019

स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक-789(2), दिनांक-09.07.2018 के आलोक में नियोजित निम्नांकित संविदा चिकित्सा पदाधिकारियों की संविदा अवधि दिनांक-09.07.2019 से अगले एक वर्ष अथवा संविदा चिकित्सक की आयु 70 वर्ष होने (जो पहले पूरा हो) तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

क्रम सं०	संविदा चिकित्सक का नाम/ पदस्थापना स्थल	अभ्युक्ति
01.	डॉ० अजय कुमार संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुशरूपूर, पटना, सम्प्रति प्रतिनियुक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	डॉ० अजय कुमार को अगले आदेश तक रेफरल अस्पताल, बिहटा, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
02.	डॉ० गोविन्द प्रसाद तमाखुवाला, संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी, कटिहार।	
03.	डॉ० कृष्ण मोहन सिंह, संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनिया कैमूर।	
04.	डॉ० राम मूर्ति सिंह संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर।	
05.	डॉ० इन्द्र देव प्रसाद साहा संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, कटिहार।	
06.	डॉ० सुशील कुमार सिन्हा संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, कार्डियोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	
07.	डॉ० एस०एम०अनवर सुलेमान संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना।	
08.	डॉ० रामानन्द प्रसाद सिंह संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढचौक, लखीसराय।	
09.	डॉ० बाल्मीकि शर्मा संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज, सुपौल।	
10.	डॉ० सुरेश कुमार शर्मा, संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मडवन, मुजफ्फरपुर।	
11.	डॉ० कृष्ण कुमार प्रसाद संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर।	
12.	डॉ० रामानन्द शर्मा संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओराई, मुजफ्फरपुर।	

13.	डा० नसीमा हसन संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराही, शिवहर।	
14.	डॉ० दिनेश्वर सिंह, संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त अधिकोष (ब्लड बैंक), सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर	
15.	डॉ० (श्रीमती) मृदुला कुमारी संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बेगुसराय।	
16.	डॉ० मो० इमामुल हक संविदा चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनपुन, पटना।	

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 के आलोक में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-789(2) दिनांक-09.07.2018 में वर्णित सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक-02/नि०-03/2017-1489(2)

पटना, दिनांक-07/08/2019

- प्रतिलिपि: मुख्य सचिव बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविज सर्जन/सभी संबंधित प्राचार्य मेडिकल कॉलेज/ सभी संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सभी संबंधित संविदा चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/08/2019
सरकार के संयुक्त सचिव।
अनिल